न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4195–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–6–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 279/अपील/2009–10.

उमेश आत्मज सन्तोष राव उधड़े
निवासी ग्राम वरूड़
तहसील मुलताई जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

पंजाब आत्मज बारक्य खाण्डे
निवासी ग्राम वरूड़
तहसील मुलताई जिला बैतूल .....अनावेदक

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 9/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार मुलताई के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा सीमांकन कराये जाने पर उसकी भूमि सर्वे कमांक 172/6 रकबा 1.132 हेक्टेयर में से 0.141 हेक्टेयर पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–70/2000–01 दर्ज कर दिनांक 6–2–06 को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक को दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–7–2007 को आदेश पारित कर प्रथम अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम

संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–6–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 31–8–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था कि आवेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनकी ओर से नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा सीमांकन कार्यवाही को चुनौती नहीं दिये जाने से वह अन्तिम हो चुका है, अतः संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

(2) अनावेदक द्वारा सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर अपना कब्जा निरन्तर बनाये रखने के उद्देश्य से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें हस्तक्षेप करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा नियमानुसार सीमांकन की कार्यवाही की गई है, परन्तु इसके उपरान्त भी सीमांकन की कार्यवाही के आधार पर आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधि की गम्भीर की गई है ।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा उभय पक्ष सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से किसी भी न्यायालय में अपने आपको प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक को दिलाये जाने सम्बन्धी आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में

अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर